प्र.क. आर /2014

प्रस्तुती दिनांक : 16 / 12 / 2014

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर के समक्ष

R-4284-III/14

चन्द्रप्रकाश पिता रामनारायण सोनी

निवासी – अलीराजपुर जिला अलीराजपुर -- प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन

-- प्रत्यर्थी

निग0 4284–तीन/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–1–2015	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री हेमंत मुंगी शासकीय अभिभाषक उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के प्रकरण कमांक 90/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 52 का आवेदन मय शपथ पत्र के पेश किया गया। 3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 193/अ–2/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 के द्वारा ग्राम मालवई तहसील व जिला अलीराजपुर के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 171 रकबा 1.55 हेक्टेयर कृषि प्रयोजन से भिन्न परिवर्तन मानते हुये रूपये 8,89,760/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की गई। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–10–2014 से अपील अस्वीकार की गई। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई साथ ही धारा 52 का आवेदन भी पेश किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 2–12–2014 के द्वारा आवेदक की अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई एवं अभिलेख मंगाये जाने के आदेश दिये, परन्तु आवेदक का धारा 52 का आवेदन बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया। आवेदक अभिषक ने सचिव ग्राम पंचायत मालबई तहसील व जिला अलीराजपुर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर तर्क दिया कि ग्राम मालवई की जनसंख्या 1247 है और 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्राम में ही डायवर्सन की कार्यवाही	

... धारा 172 (4)
...सूचना पत्र रूपये 8,89,760/– अर्थदण्ड वसूली बाबद

अविरत....

R 4284-III/14 अली0/2013/2

	किये जाने का प्रावधान है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी अर्थदण्ड की राशि जमा करने संबंधी नोटिस दिनांक 15–1–15 को नोटिस जारी हुआ है जिसमें उसे दिनांक 27–1–15 तक अर्थदण्ड की राशि जमा करने अथवा चल अचल सम्पत्ति से वसूल करने के आदेश दिये गये हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया यदि स्थगन प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक की स्वत्व की भूमि को कुर्क कर वसूली की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। 4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है और वहां गुण–दोष पर निराकरण होना है अतः प्रकरण में ग्राह्यता का कोई आधार नहीं है। 5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेश की प्रतियों का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील लंबित है। अपर आयुक्त ने अंतरिम आदेश दिनांक 2–12–14 से आवेदक के स्थगन आवेदन को इस आधार पर कि प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से, निरस्त कर अभिलेख मंगाये जाने के आदेश दिये हैं जबकि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से आवेदक को दिनांक 15–1–15 को नोटिस जारी हुआ है जिसमें उसे दिनांक 27–1–15 तक अर्थदण्ड की राशि जमा करने अथवा चल अचल सम्पत्ति से वसूल करने के आदेश दिये गये हैं। सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर का प्रकरण क्र0 193/अ–2/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 का कियान्वयन आगामी तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वे तीन माह के पूर्व अपील प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करें। (डा0 मधु खरे) सदस्य	